(105) 52

अंतरिम जॉच प्रतिवदेन

दिनांक- 18.05.15 से 20.05.15 तक अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड में ग्रा0 वि0 विभाग के पत्रांक - 230103, दिनांक- 05.05.2015 के आलोक में इंदिरा आवास तथा मनरेगा योजनाओं की जॉच के लिए मै तथा श्री रामेश्वर प्रसाद, राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक गये । सर्वप्रथम मनरेगा योजनाओं की जॉच की गई । नमूने के तौर पर वर्ष 2013-14, 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11 के कुछेक योजनाओं की जॉच की गई । जिन योजनाओं की जॉच की गई वे निम्नलिखित है :-

1. 10 नं0 रोड से पश्चिम लक्ष्मी सिंह के घर होते हुए छहर तक सड़क में मिट्टी भराई का कार्य भाग- 2 (2013-14) ।
2. 10 नं0 रोड से पश्चिम लक्ष्मी सिंह के घर होते हुए छहर तक सड़क में मिट्टी भराई का कार्य भाग- 4 (2013-14) ।
3. 4/08-09 में 10 नं0 पक्की सड़क से पोखर वाला श्मशान धाट तक मिट्टी भराई एवं R.C.C कार्य ।
4. 9/2009-10 में जवाहर मास्टर के घर से पश्चिम श्री नगर धार में R.C.C निमार्ण कार्य ।
5. 3/2010-11 भोड़हसिया से बक्स के घर तक सड़क में मिट्टी भराई कार्य ।

क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित योजना दो भागो में विभक्त की गई है, जो PWD Code के अनुसार नियम संगत नही है । कार्य असंतोषजनक पाया गया । इसका भाग दो, बिल्कुल गैर जरूरी है । क्योकि उसी के समानान्तरण एक पक्की सड़क उस गांव तक गई है । इस सड़क को निर्माण करना जरूरी नहीं था ।

<u>योजना सं0 - 04/2008-09</u> बिल्कुल अनुउपयोगी, क्योकि उस काल में इसकी आवश्यकता नहीं थी । R.C.C कार्य में घटिया बालू (local sand) का उपयोग किया गया है ।

<u>योजना सं0 - 03/2010-11:-</u> स्थल पर प्रर्दशन पट्ट नहीं है । योजना का क्रियान्वयन ठीक तरह से नही किया गया है ।

<u>योजना सं0 - 09/2009-10:-</u> में local sand का प्रयोग किया गया है । वर्त्तमान में R.C.C पुलिया टूट रहा है ।

जितनी योजनाएँ पंचायत द्वारा ली गयी है, वे सभी कच्ची है, योजनाओं की सूची से स्पष्ट है ।

स्थल जॉच की विडियोग्राफी करायी गयी है किन्तु उसकी C.D. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी स्वतंत्र कुमार ने आज तक उपलब्ध नही कराया है, न योजनाओं से संबंधित अभिलेख, पंजी इत्यादि । उनसे बार-बार टेलिफोन से संपर्क किया गया किन्तु वे विडियोग्राफी C.D. भेजवा नही पाये । हमेशा अभिलेख उपलब्ध कराने में आनाकानी करते रहे, इस संबंध में संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचना दी गयी, लेकिन उनके द्वारा भी कोई ठोस कदम नही उठाया गया । जिला पदाधिकारी अररिया को इस बात से अवगत कराया गया ।

यहां यह बता देना उचित होगा कि NLM ने भी अपने प्रतिवेदन में यह अंकित किया है कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने उनके समक्ष रोकड़ पंजी, मस्टर रोल, जॉब कार्ड, रजिस्टर आदि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नही किया । इससे यह स्पष्ट है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी गड़बड़ी किी गयी है । सुलभ प्रसंग हेतु NLM की जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न है जिसके पृ0 - 3 का अंश (A) में अवलोकनीय है ।

हमलोगों का सुझाव होगा कि इस पंचायत की योजनाओं की जॉच विस्तृत एवं गहण रूप से की जाने की आवश्यकता है । इस हेतु विशेष टीम गठित कर संबंधित पंचायत की योजनाओं की जॉच की जाए ।

पंचायत से संबंधित आम सभा, कार्यकरिणी, मास्टर रौल, पंजी, रोकड़ पंजी आदि प्रस्तुत नही कर सके ।

अत: प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी स्वतंत्र कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत कनीय अभियंता आदि से स्पष्टीकरण पूछकर आवश्यक अनुशासनिक कारवाई किये जाने का अनुरोध है ।

इसी प्रकार उक्त पंचायत के इंदिरा आवास की जॉच की गई । जॉच के समय आवास सहायक एवं आवास पर्यवेक्षक साथ थे । इन्हें कुछ भी पता नही था कि लाभुको का आवास कहां है । स्थानीय लोगो से पूछकर आवास की जॉच की गई । जिन लाभुको की जॉच की गई वे निम्नांकित है :-

50
103

नन्ही खातून पति सैफुल मियां ग्राम - कजरा, शाहिदा खातुन, पति - हफीजुदीन, बीबी हैरूण, पति - नसरूद्दीन पचिरा, मो0 सरस्वती देवी पति स्व0 संगम लाला सिंह, झुलन आरा पति जमील पचिरा आदि ।

सभी लोगो ने बताया कि लोगो से दलालों द्वारा पैसों की कटौती की गई है । आफताव आलम तथा मुखिया का नाम आया है । सभी का बयान का विडियो ग्राफी की गई है किन्तु विडियो का सी0डी0 आज तक उपलब्ध नही कराया गया है । वस्तु स्थिति की जानकारी की सी0डी0 नही भेजा गया है के बारे में जिला पदाधिकारी को बता दिया गया है । <u>सम्पूर्ण प्रकरण पर विचारोपरान्त निम्नांकित सुझाव दिये जा रहे है :-</u>

1. समय पर सी0डी0 तथा अभिलेख, पंजी आदि उपलब्ध नही कराये जाने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रानीगंज, उक्त पंचायत (पचीरा) के आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक तथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत रोजगार सेवक आदि से स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है ।
2. राज्य स्तर से विशेष टीम गठित कर उक्त पंचायत की योजनाओं की विस्तृत गहण जॉच की आवश्यकता है ।
3. इंदिरा आवास के वर्ष वार कागजात प्रखंड में उपलब्ध नही है । उक्त पंचायत के इंदिरा आवास का शत प्रतिशत जॉच आवश्यक है। वर्ष 2007-08 के पहले का कागजात उपलब्ध नही कराया गया ।

सूचनार्थ समर्पित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त (कुल पृ0-7) ।

भूपेन्द्र कुमार सिंह
राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक

18/06/15
रामेश्वर प्रसाद
राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक

49
~~102~~

91/4

M1 1633

CN-18474/12

No.J-11060/01/2011-RH
Government of India
Ministry of Rural Development
(Rural Housing Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 16th February, 2012

To

The Secretary
Department of Rural Development
Govt. of Bihar, Patna,
Bihar

JDC (KM)

Subject: Complaint dated nil from Public of Panchayat Pachira, District Araria, Bihar regarding misappropriation of funds under Indira Awaas Yojana (IAY) and MGNREGA Scheme.

Sir,

I am directed to say that on a complaint of the Public, Panchayat Pachira, District Araria, Bihar received through the Central Vigilance Commission, New Delhi, regarding corruption in implementation of IAY and MGNREGA in the Panchayat Pachira, District Araria, Bihar, Shri Kalicharan, NLM was deputed to enquire into the matter. The NLM has conducted the enquiry and submitted his report. A copy each of the Report submitted by the NLM and the complaint lodged by the public Panchayat Pachira is enclosed.

2. It is requested that the State Govt. may constitute a team of officers for conducting a detailed enquiry in respect of IAY houses sanctioned in the Pachira Panchayat, Block Raniganj, District Araria (Bihar) to find out the exact status of affairs in this regard. Action may be taken against persons and/or officials who are responsible for the irregularities in this case.

3. The State Govt. is requested to send the above enquiry report within two months and also take corrective measures accordingly.

Encl. As above

Yours faithfully,

(Alice Teta)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 23073787

In all there are 39 projects undertaken for Pachira Panchayat from 2006-2007 to 2011-2012 (not available for 2008-2009) till date. The grant is said to has not been released for current year 2011-2012 from Ministry of Rural Development. But 5 MNREGA projects have been taken up during current 2011   012.

Year	No. of Works during the year			
	Earth work on road	**R.C.C. culvert**	**Plantation**	**Pokher/ Ponds**
2006-2007	8	-	-	-
2007-2008	7	-	-	-
2008-2009	No available			
2009-2010	8	2	-	
2010-2011	5	-	3	1
2011-2012	1	-	4	-
Total	29	2	7	1

There are 39 projects undertaken under MNREGA from 2006-2007 till now including earth works on three roads with one culverts each. Out of these. Only 28 projects are completed. One is under conflict. Two have not yet started and the rest are in progress. Out of these, 12 projects were visited. The projects with earth works need maintenance. The plantation work is good but no one was seen putting water as told by programme officer that there is one worker engaged to irrigate forevery 200 plant on regular intervals. Similarly, the R.C.C. culvers constructed are not covered properly from both sides and also do not have sooth approach.

A statement of projects to be undertaken during 2012-2013 was

(3)

112

cursory of statement reveals that the priority said to have been approved by Distt committee has been given to works of big expenditure obviously for big farmers in the fields of i.e. Sl No. 1 Rs. 9 lacs for construction of pond in the field of one farmer and also plantation at the expenses of Rs. 3.6 lacs on the field of same farmer, as a first priority. There are other farmers in whose field, an expenditure of Rs. 9 lacks to Rs. 10.25 lacs is proposed for construction of pond. The poor/scheduled caste / Tribes farmers are given last priority at the end. The earth works on roads has been given last priority. The total proposals come to more than Rs. 10 crore for one Panchayat during 2012-2013. This much amount is not likely to be allotted to any one Panchayat. Thus in case of less allocation to this Panchyat, the amount will be exhausted for the projects in the field of big farmers. Thus the priority supposed to be given to scheduled caste / tribes poor farmer has been ignored against the provisions of the scheme.

It was observed that for executioo of any project Paochayat Rozgar Sahayak is made as an execution agency instead of Panchayat.

The records like cash book, muster roll, job card register - register of works executed, expenditure incurred man days enerated etc. as required to be maintained were not made available.

There was no work in execution during the period of visit for this Panchayat. However, on 17th December 2011, on way to Pachira, a MNREGA project being executed - KHARHAT Panchayat in the same Raniganj Block was seen . A road connecting to different places. More than 70 person/workers with job cards were on the site.

On the site it was observed that, the attendance register, musterroll, first aid kit etc. were found under the control of one of the agent said to [illegible] Mate [illegible] though mate was present. Inspite of

4

196

113

objection raised by programme officer, the representative son of concerned Mukhiya did not agree to hand over all papers / record to mate, Panchayat Rozgan Sewak was not available at the site.

Thus it was clear that MNREGA is not implemented as per provisions of the Scheme.

Date : 02.01.2012

KALICHARAN 2.1.2012

NLM

प्रभात कुमार महथा,
बि०प्र०से०,
उप विकास आयुक्त, अररिया।

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
(मनरेगा सेल), अररिया

फो० 9431218383,
दूरभाष 06453 222002 (का०),
06453 222103 (आ०)

पत्रांक ...213........./मनरेगा

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
अररिया ।

सेवा में,

कार्यक्रम पदाधिकारी,
रानीगंज ।

अररिया, दिनांक 10.4.12

विषय : रानीगंज प्रखंड के पचीरा पंचायत का NLM से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, रानीगंज प्रखंड के पचीरा पंचायत का NLM द्वारा किये गए जांच का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित तथ्य उजागर हुआ है :-

1. मिट्टी की सड़कें जो नरेगा योजना से बनाई गई है, उसमें रख-रखाव की आवश्यकता है ।
2. वृक्षारोपन की योजना में वृक्षों में वनपोषक के द्वारा पानी नहीं डाला जाता है ।
3. मिट्टी सड़क में एक आर०सी०सी० कलभर्ट है जिसका अप्रोच अच्छी तरह निर्मित नहीं है ।
4. वर्ष 12-13 में कार्यान्वित करायी जाने वाली योजनाओं की संख्या काफी अधिक है ।
5. बड़े किसानों के तालाब खोदायी कार्य को प्राथमिकता में उपर रखा गया है एवं SC/ST एवं गरीब कृषक की योजना प्राथमिकता में नीचे रखा गया है । नियमतः SC/ST एवं गरीब कृषक की भूमि विकास की योजना प्राथमिकता में उपर होनी चाहिए थी । NLM के द्वारा शंका व्यक्त की गई है कि सारी योजना में पूरी करने के लिए राशि उपलब्ध नहीं हो और प्राथमिकता में नीचे होने के कारण SC/ST एवं गरीब कृषक की भूमि विकास योजनाएं नहीं ली जा सकेंगी ।
6. पचीरा पंचायत के अतिरिक्त खरहट पंचायत में चालित एक योजना का निरीक्षण NLM के द्वारा किया गया । वहां मुखिया पुत्र सभी योजना कागजात के साथ उपस्थित था । कार्यक्रम पदाधिकारी के कहने के बाद भी मुखिया पुत्र के द्वारा योजना कागजात नहीं देखने दिया गया ।

अतः जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार NLM से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि प्रतिवेदन/उक्त विन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दिनांक [illegible].2012 तक समर्पित करना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त,
अररिया

मनरेगा कार्यालय ग्राम पंचायत राज, पचीरा रानीगंज

पत्रांक 21 दिनांक 19.04.12

प्रेषक : पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज, पचीरा
द्वारा – कार्यक्रम पदाधिकारी, रानीगंज

सेवा में,
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
–सह–
उपविकास आयुक्त, अररिया

प्रसंग : पत्रांक 213, 526, 94830 दिनांक–10.04.12, 14.03.12, 05.03.12 के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय ग्रा0 पं0 राज, पचीरा (रानीगंज) का **NLM** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में **स्पष्टीकरण बिन्दुवार निम्नांकित हैं :–**

बिन्दु सं0–01

मिट्टी की सड़के के रखरखाव की व्यवस्था मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं है फिर भी हम सभी मिलकर उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। इसे सुरक्षित रखने हेतु पंचायत के मुखिया द्वारा निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच व अन्य को शामिल किया गया है।

बिन्दु सं0–02

वृक्षारोपन योजना में 200 वृक्ष पर एक वनपोषक प्रतियोजित है, वनपोषक द्वारा प्रतिदिन वृक्षों की सिंचाई की जाती है, प्रायः वृक्ष हरे–भरे हैं। अतः यह कहना है कि वनपोषक द्वारा पानी नहीं देना समीचीन नही है। फिर भी वनपोषक द्वारा वृक्षों में पानी देने का काम को कड़ाई से पालन किया जाएगा।

बिन्दु सं0–03

मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित एक आर.सी.सी. कलभर्ट अप्रोच सड़क स्थान पर बलवाही मिट्टी है, वाढ़, आंधी, तुफान, सुखा मौसम में मिट्टी उड़ और बह जाता है। दूसरा उक्त अप्रोच पथ का निर्माण SC No.-16/09-10 (Samiti) में ही पूर्ण हुआ था। उक्त योजना के समायोजन/बंद हो जाने से मरम्मत नहीं हो सका। पुनः अप्रोज सड़क योजना का प्रस्ताव लेकर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।

बिन्दु सं0–04

वर्ष 12–13 में योजनाओं के अधिकताओं के संबंध में कहना है कि उक्त पंचायत में 14 वार्ड और लम्बा–चौड़ा क्षेत्र है। नई व्यवस्था पर वार्ड सभा दिनांक 14-09-11 से प्रारंभ होकर कुल 14 वार्डो से 260 योजना प्रस्तावित किया। जिसमें 2 अक्टुबर, 11 की ग्राम सभा मे 4 योजना छांटकर 69 नई योजना को शामिल कर लिया (260-04=256+69=325)। योजनाओं का प्रस्ताव/चयन करना एवं प्राथमिकता तय वार्ड सभा/ग्राम सभा द्वारा की जाती है। अतः योजनाओं की कुल संख्या 325 हो गयी।

(98)

7

बिन्दु सं0–05

मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुरूप SC/ST लघु एवं सीमान्त किसान की जमीन में तालाब निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। वार्ड सभा / ग्राम सभा में सभी वर्ग के लोग रहते हैं और उनके द्वारा योजना का प्रस्ताव / चयन / प्राथमिकता तय की जाती है। पचीरा SC/ST बाहुल्य पंचायत है, वार्ड / ग्राम सभा में भी उनलोगों की उपस्थिति अधिक रहता है और सभी को बोलने का सामान्य अवसर दिया जाता है। पचीरा पंचायत में एक मात्र पोखर की खुदाई हो रही है, योजना नाम–गिरो ऋषिदेव के जमीन में पोखर निर्माण कार्य, योजना सं0–08 / 10–11 है, जो कि गिरो ऋषिदेव खुद SC वर्ग के हैं। दुसरा कि SC बाहुल्य पंचायत में अधिकांश SC/ST भूमिहीन हैं या अधिक जमीन नहीं है फिर भी अधितर योजना SC/ST वर्ग के गांव / टोला में किया गया है। पंचायत पचीरा के मुखिया स्वंय SC वर्ग से आते हैं।

अतंतः उपरोक्त बिन्दुवार तथ्यों से स्पष्टीकरण को स्वीकार्य करते हुए श्रीमान् को यह भी स्पष्ट करना चाहता हुँ कि उक्त पंचायत में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, प्रायः सभी वर्गो को मनरेगा संचालित योजनाओं में कार्य दिया गया है, साथ ही प्रखंड कार्यालय / निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का निरीक्षण के आलावे हाल ही में NGO संगठन 'जन जागरन' द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य ग्राम पंचायत राज पचीरा में सम्पन्न हुआ। अभी तक किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई। साथ ही पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मनरेगा योजना में सभी वर्गो / समुदायों क्षेत्रों का समान विकास कार्य होगा।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

पंचायत रोजगार सेवक

ग्राम पंचायत राज–पचीरा

रानीगंज

Received
MNREGA
19.04.12